RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

02DD 756618

निबंधन अधिनियम.......21......... के ...
और छोटानागपुर/संतालपरगना टेनेन्सी एक्ट ...
के अधीन भी ग्राह्य है और ...
भारतीय स्टाम्प एक्ट ... की अनुसूचि 1(1) के
खण्ड ...23... के अधीन यथावत स्टाम्प ...
या स्टाम्प शुल्क के विमुक्त या स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं
निबंधन पदाधिकारी

दस्तावेज जाँच किया

बिक्रय पत्र

बिक्रेता :– श्री मुकेश कुमार सिंह, पिता श्री दिनेश प्रसाद सिंह, जाति राजपूत, पेशा अवकाश प्राप्त, साकिन तेलिया लौंगाय, पत्रालय तेलिया लौंगाय, थाना फुल्लीडुमर, सबडिविजन व सबरजिष्ट्री बांका, जिला भागलपुर, वर्तमान जिला बांका, राज्य–बिहार, हाल साकिन एलेलुआ मिनीजीस, ब्लॉक न0 1, सेकेन्ड फ्लोर, दूरदर्शन टावर, एलटिन्हो, पणजी, टिसवारी नोर्थ गोवा–403001, राष्ट्रीयता भारतीय। पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न, PAN—AXVPS6743C
आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न, आधार न0 8522 9060 4548

पंकज कुमार
पिता स्व० भोला प्रसाद सिंह
ग्राम - रतुवाटांड
थाना - व जिला गिरिडीह

कोषागार पदाधिकारी
देवघर

(Stamp: कोषागार देवघर, क्र.सं.17627, तिथि-8-9'2015)

For sale deed

25000×1 = 25000.00
5000×1 = 5000.00
500×1 = 500.00

Total - 30500.00

Rs- 30500.00 (Thirty thousand five hundred)

8/9/15
Stamp Clerk
Deoghar Treasury
P.O. + Dist. Deoghar

उपनिबंधक द्वारा सत्यापित

Mukesh Kumar Singh
5/2/16

श्री मुकेश कुमार सिंह पिता नाम श्री/स्व० दिनेश प्रसाद सिंह
निवास स्थान ग्राम पो० भगवानपुर थाना दुमरी जिला गिरिडीह
जाति राजपूत पेशा सेवानिवृत्त... दावेदार
... अवर निबंधक ... प्रमाणितकृत मुख्तारनामा
संख्या ... दावेदारों या दावेदारों
... से एक ... अभिकर्ता (अटर्नी) है ने
ता० 5/2/2016 ... बजे दिन में 10 बजे

(Stamp: जिला अवर निबंधक, सत्यमेव जयते)

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

क्रेता :–1.श्री पंकज कुमार, पिता श्री भोला प्रसाद सिंह, जाति भूमिहार ब्राह्मण, पेशा व्यवसाय, साकिन केवाली, पत्रालय व थाना सोनो, सबडिविजन जमुई, सबरजिष्ट्री चकाई, जिला जमुई, राज्य–बिहार, वर्तमान साकिन न्यु बरगंडा, पत्रालय, थाना, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला गिरिडीह, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता –भारतीय।

पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न, PAN—AHYPK4707B

आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न, आधार न0 4446 5043 9612

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

2.श्री प्रवीण कुमार, पिता श्री भोला प्रसाद सिंह, जाति भूमिहार ब्राह्मण, पेशा नौकरी, साकिन केवाली, पत्रालय व थाना सोनो, सबडिविजन जमुई, सबरजिष्ट्री चकाई, जिला जमुई, राज्य–बिहार, राष्ट्रीयता :–भारतीय।

पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न, PAN—AKTPK7458F

लेख्य प्रकार :–बिक्रय पत्र।

बिक्रीत सम्पत्ति की कीमत :–कुल 7,60,000/–सात लाख साठ हजार रूपये मात्र।

बिक्रीत सम्पत्ति का विवरण :–थाना नं0 402, जिला, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर, सामिल मौजा खोरादह के अन्दर महल्ला बम्पास टाउन में सुर्वेक्षित बसौड़ी सत्व की हस्तान्तरणीय जमीन, गेन्जर सर्वे सेटलमेन्ट प्लाट न0 238 व 239 का अंश रकवा 2,000 वर्गफीट (दो हजार वर्गफीट) यानि 4.591 डिसमिल परती जमीन, अन्दर गेन्जर सर्वे सेटलमेन्ट बसौड़ी जमाबंदी न0 27/9, अन्दर टाउन प्लान प्लाट न0 1231, राजस्व विभाग के पंजी II का जमाबंदी न0 5/3480 अंश, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न0 17, देवघर नगर निगम वार्ड न0 17, जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा हुआ सब प्लाट न0 "6" का अंश मार्क "ए" में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक बिक्री किया जिसकी चौहद्दी :–

उत्तर :–बिक्रेता की जमीन सब प्लाट न0 "5" जो अन्य बिक्रय पत्र के द्वारा दीपक कुमार शर्मा खरीद रहे हैं।
इधर की माप पुरबा–पश्चिमा 50'–00" फीट।

दक्षिण :–बिक्रेता की जमीन इसी सब प्लाट न0 "6" का अंश मार्क "बी" जो अन्य बिक्रय पत्र के द्वारा श्रीमती रीतु सराफ खरीद रहीं हैं।
इधर की माप पुरबा–पश्चिमा 50'–00" फीट।

पुरब :–15'–00" फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता।
इधर की माप उत्तरा–दखिना 40'–00" फीट।

पश्चिम :–15'–00" फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता।
इधर की माप उत्तरा दखिना 40'–00" फीट।

विदित हो कि जिला संथाल परगना, वर्तमान जिला देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर, तालुक रोहिणी, सामील मौजा खोरादह के अन्दर बसौड़ी सत्व की जमीन, सेटलमेन्ट प्लाट न0 238 रकवा 0.09 एकड़ (नौ डिसमिल) व सेटलमेन्ट प्लाट न0 239 रकवा 1.20 एकड़ (एक एकड़ बीस डिसमिल) मोट रकवा 1.29 एकड़ (एक एकड़ उनतीस डिसमिल), अन्दर बसौड़ी जमाबंदी न0 27/9, जो गत गेन्जर सर्वे सेटलमेन्ट के खातियान स्लीप/पर्चा में प्राण गोविन्द चौधरी पिता आनन्द गोविन्द चौधरी के नाम से बसौड़ी दर्ज है, **खातियान स्लीप/पर्चा एवं सर्वे नक्शा की छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक–1 व 2**

दिनांक 19/06/1959 ईस्वी में निबंधन कार्यालय कलकत्ता से निबंधित एक कीता बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 76, पृष्ठ संख्या 289 से 293 में निबंधित जिसकी संख्या 2726 वर्ष 1959 ईस्वी के द्वारा, श्रीमती कृष्णी देवी सुरेका पति रतन लाल सुरेका ने जिला संथाल परगना, वर्तमान जिला देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर के अन्तर्गत मौजा खोरादह के अन्दर महल्ला बम्पास टाउन में बसौड़ी सत्व की जमीन, रकवा स्थानीय माप से कमबेसी 01 (एक) बीघा, 1 (एक) कट्ठा, 14 (चौदह) धुर यानि 1.26 एकड़ (एक एकड़ छब्बीस डिसमिल) मय पुराना मकान, अगुवारा, पिछुवारा, वृक्षादि, चहारदिवाली आदि, अन्दर गेन्जर सर्वे सेटलमेन्ट प्लाट न0 238 व 239, अन्दर टाउन प्लान प्लाट न0 1231, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका पुराना वार्ड न0 08, उपर्युक्त प्राण गोविन्द चौधरी पिता आनन्द गोविन्द चौधरी से खरीद किया व उसपर दखल कब्जा लेकर निर्विवाद रूप से भोग दखल करती रही, **बिक्रय पत्र की छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक–3**

दिनांक 17/11/1977 ईस्वी में निबंधन कार्यालय कलकत्ता से निबंधित एक कीता बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 219, पृष्ठ संख्या 195 से 202 में निबंधित जिसकी संख्या 5211 वर्ष 1977 ईस्वी के द्वारा, उपर्युक्त श्रीमती कृष्णी देवी सुरेका पति रतन लाल सुरेका ने, उक्त सम्पत्ति जिला संथाल परगना, वर्तमान जिला देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर के अन्तर्गत मौजा खोरादह के अन्दर महल्ला बम्पास टाउन में बसौड़ी सत्व की जमीन, रकवा स्थानीय माप से कमबेसी 01 (एक) बीघा, 1 (एक) कट्ठा, 14 (चौदह) धुर यानि 1.26 एकड़ (एक एकड़ छब्बीस डिसमिल) मय पुराना मकान, अगुवारा, पिछुवारा, वृक्षादि, चहारदिवाली

आदि, अन्दर गेन्जर सर्वे सेटलमेन्ट प्लाट न0 238 व 239, अन्दर टाउन प्लान प्लाट न0 1231, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका पुराना वार्ड न0 08, जो उक्त बिक्रय पत्र संख्या 5211 वर्ष 1977 ईस्वी के तफसील "ख" में वर्णित सम्पत्ति को ठाकुरदास सुरेका चेरिटी ट्रष्ट फण्ड ए चेरिटेबुल ट्रष्ट, कार्यालय न0 172, जे. एन. मुखर्जी रोड, सलकिया, थाना मालीपंचगड़ा, जिला हावड़ा के पास बिक्री कर दिया, **बिक्रय पत्र की छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक–4**

उपर्युक्त ठाकुरदास सुरेका चेरिटी ट्रष्ट फण्ड, ए चेरिटेबुल ट्रष्ट, कार्यालय न0 172, जे. एन. मुखर्जी रोड, सलकिया, थाना मालीपंचगड़ा, जिला हावड़ा, उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय देवघर में नाम दर्ज करवाकर वार्षिक मालगुजारी आदाय करते हुए व उसपर निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार रहते हुए दिनांक 09/08/1990 ईस्वी में निष्पादित तथा दिनांक 10/08/1990 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 22/1993, पृष्ठ संख्या 276 से 292 में निबंधित जिसकी संख्या 2227 वर्ष 1990 ईस्वी के द्वारा, उक्त सम्पत्ति के अन्दर बमोजीव उक्त दस्तावेज के सेकेण्ड सिडयुल में वर्णित सब प्लाट न0 "6" रकवा 5,000 वर्गफीट यानि 1 (एक) कट्ठा, 18 (अठारह) धुर, 10 (दस) धुरकी, अन्दर गेन्जर सर्वे सेटलमेन्ट प्लाट न0 238 व 239, अन्दर टाउन प्लान प्लाट न0 1231, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न0 पुराना 08, उसके बाद 17, बमोजीव उक्त दस्तावेज के संलग्न नक्शा में लाल रंग से घिरा अंश मय कुल हक हकूक, उपर्युक्त मुझ बिक्रेता श्री मुकेश कुमार सिंह के पास बिक्री कर दिया, **बिक्रय पत्र की छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक–5**

उपर्युक्त मैं बिक्रेता श्री मुकेश कुमार सिंह उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय देवघर में नामान्तरण वाद संख्या 160/2015–16 के द्वारा दिनांक 03/07/2015 ईस्वी के आदेशानुसार अपना नाम दर्ज करवाकर वार्षिक मालगुजारी आदाय करते हुए बहैसियत पूर्ण मालिक आजतक निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार हूँ, **नामान्तरण आदेश व मालगुजारी रसीद की छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक–6 व 7**

In the High Court of Jharkhand at Ranchi W.P.(C) No. 4458 of 2011 के आदेश की छायाप्रति संलग्न, **अनुलग्नक–8**

अभी मुझ बिक्रेता को अपने आवश्यक जरूरी सांसारिक खर्च के लिये रूपये की सख्त जरूरत है इसलिये उक्त खरीदगी सम्पत्ति के अन्दर रकवा 2,000 वर्गफीट जिसका पूर्ण विवरण उपर खाना न0 5 में वर्णित है, को बिक्री करने का ऐलान किया।

आप क्रेता उसे अभी के बाजार भाव से अधिकतम कीमत पर, खरीद करने की इच्छा जाहिर करने पर उभय पक्ष की मंजूरी से उसकी कीमत कुल 7,60,000/–सात लाख साठ हजार रूपये कायम हुए।

अतएव आज तारीख मैं बिक्रेता, आप क्रेता से कीमत के कुल 7,60,000/–सात लाख साठ हजार रूपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद (Memo of consideration) अनुसार लेकर उपर खाना न0 5 में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक, आप क्रेता के पास बिक्री कर दिया और आपके दखल कब्जे में दे दिया।

अब आप क्रेता, मुझ बिक्रेता के सत्व व दखल से सत्ववान व दखलकार होकर मय अपने उत्तराधिकारी मय वारिसान व स्थलाभिषिक्तगण क्रमः से भोग, दखल, दान, बिक्री, मौरगेज व नाना प्रकार के वारदेन व हस्तान्तरण आदि करने के अधिकारी होकर स्वेच्छा पूर्वक भोग, दखल करते रहें, इसमें मुझ बिक्रेता मय वारिसान को किसी भी तरह की उज्र–आपत्ति नहीं होगी न कोई कर सकेगा। अगर कोई करे तो वह न्यायालय से निरस्त होगा।

उक्त बिक्रीत सम्पत्ति का मैं बिक्रेता ही एकमात्र मालिक हूँ, इसमें दूसरा कोई अंशदार या दखलकार नही है व इसके पहले उक्त सम्पत्ति को किसी के पास किसी तरह का दाय–संयूक्त या हस्तान्तरण आदि यानि दान, बिक्री, मौरगेज, एकरारनामा, वसीयत, लीज आदि नहीं किया हूँ तथा किसी भी सरकारी या गैरसरकारी विभागों या कार्यालयों से या किसी भी सरकारी या गैरसरकारी बैंक से या किसी भी बित्तीय संस्थान से किसी भी तरह का ऋण आदि नहीं लिया हूँ यानि उक्त सम्पत्ति हर तरह से साफ व पाक है।

5/2/16

उपर्युक्त उक्तियों के खिलाफ अगर साबित हो या आपकी खरीदगी हक में किसी तरह की बिध्न बाधा पहूँचे या कोई दोष निकले या बिक्रीत सम्पत्ति के किसी भी अंश से आप क्रेता बेदखल हों तो ऐसी स्थिति में, मुझ बिक्रेता के उपर न्यायायलीय प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

उक्त बिक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में अगर भविष्य में, मुझ बिक्रेता मय वारिसान को कुछ लिखना या करना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में आप क्रेता मय वारिसान के अनुरोध व खर्च से वैसा लिखने व करने को तैयार रहूँगा।

अतएव आज तारीख मैं बिक्रेता स्वेच्छा से मन व शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दवाब या बहकावे के कीमत के कुल रूपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद (Memo of consideration) अनुसार लेकर यह बिक्रय पत्र लिख दिया जो प्रमाण रहे, दिनांक 05/2/2016

घोषणा :–उक्त बिक्रीत सम्पत्ति अन्य सड़क में है जो आवासीय है, तथा लीज से मुक्त है, निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार स्टाम्प दिया गया है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति सरकारी भूमि (केशरे हिन्द भूमि/गैरमजरूआ आम भूमि/गैरमजरूआ खास भूमि/बन भूमि/जंगल आदि/विभिन्न विभागों के अर्जित/हस्तान्तरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि) के अर्न्तगत नहीं है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति गोचर, भूहदबन्दी, आदिवासी खाते की नहीं है व कब्रिस्तान, दरगाह या अन्य धार्मिक स्थल की नहीं है तथा चारागाह के अर्न्तगत भी नहीं है।

<u>गवाहान</u>

① रजनीश कुमार सिंह 5-2-16
पिता: बालदेव सिंह
पता: दुर्गा बाड़ी रोड देवघर
पेशा- व्यवसाय 9431310904

(2) सुनील कुमार ठाकुर 5-2-16
पिता- श्री सत्यानन्द ठाकुर
पता - परम प्राकाशानन्द मा.
देवघर

रकम प्राप्ति रसीद

(Memo of consideration)

1.UTR No. HDFC R52015072065807846, through Cheque No. 296480 dated 20.07.2015 HDFC Bank of Rs. ---------------------------------------7,00,000=00

2.By Cash of Rs.. 60,000=00

Total ---------7,60,000=00

(Seven Lac Sixty Thousand) only as full and final consideration money.

बिक्रेता का फोटो, हस्ताक्षर एवं टीप निशान–

क्रेता का फोटो, हस्ताक्षर एवं टीप निशान–

Pankaj Kumar
5/2/16

P.kumar
5/2/16

दस्तावेज पढ़कर फरीकैन को सुना व समझा दिया प्रारूप कर्ता सहदेव राउत
डीड रायटर देवघर, दिनांक 05/2/2016
प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगा है, के बॉये हाथ के अंगूलियों के निशान मेरे द्वारा लिये गये हैं सहदेव राउत
डीडरायटर देवघर, दिनांक 05/2/2016

अनुज्ञप्ति संख्या 2/1991

PLAN OF LAND UNDER MOUZA:- KHORADAH NO- 402 WITHIN DEOGHAR NAGAR NIGAM WARD NO- 17 SETT- J. B. NO-27/9 PRE- J. B. NO- $\frac{5}{3480}$ SETT- PLOT NO- 238 & 239 PART OF T. P. PLOT NO- 1231 SUB PLOT NO- 6(PART)/A AREA:-2000 sqft. SHOWN IN RED COLOUR BELONG'S TO SRI MUKESH KUMAR SINGH S/O DINESH PRASAD SINGH & NOW SOLD TO SRI PANKAJ KUMAR & SRI PRAVIN KUMAR BOTH S/O SRI BHOLA PRASAD SINGH OF NO-1 NEW BARGANDA , P.S & DIST- GIRIDIH AND NO:-2 KEWALI, P.S. SONO, DIST- JAMUI